

979  
2021

रिपोर्ट पटवारी हत्का / आई०एल०आर० - खामोश  
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी दीलत सिंह शेखावत पुत्र 30111112 शेखावत  
को नाम गलत 2075-78 के खाता संख्या 131, 132, 182, 183, 186 में दीलत सिंह पुत्र 30111112 शेखावत  
की जगह जाम सिंह के आधा (अर्ध) पैग काट में दीलत सिंह शेखावत पुत्र 30111112 शेखावत  
की जगह दीलत सिंह शेखावत पुत्र 30111112 शेखावत पुत्र किमा जाम पुत्रा किमा है।

कार्यालय, तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक 08/11/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

3995 किमा जाम उचित है

08/11/2021  
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 08/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	धमौरा	2075	186	दीलत सिंह पुत्र	दीलत सिंह शेखावत
		2078	182	जाम सिंह	पुत्र 30111112 शेखावत
			183		
			131		
			132		

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की जाना की जावे।

08/11/21  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

:- राजस्व / 2020 / 751-52

दिनांक :- 8/11/21

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।

2. प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को सूचनार्थ।

08/11/21  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी